चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम संख्यांक 9)

[22 मार्च, 2006]

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

1949 का 38 **2.** चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-- धारा 2 का संशोधन ।

(I) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(कक) "प्राधिकरण" से धारा 22क के अधीन गठित अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ककक) "बोर्ड" से धारा 28क के अधीन गठित क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड अभिप्रेत है ;';

(ii) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(ङक) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है ;';

(iii) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(जक) "विनिर्दिष्ट" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है ;

(जख) "अधिकरण" से धारा 10ख की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अधिकरण अभिप्रेत है ;';

(II) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, "आबद्ध शिक्षार्थी को प्रशिक्षण" शब्दों के स्थान पर "आबद्ध सहायकों को प्रशिक्षण" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) उपधारा (1) के खंड (ii), खंड (iii), खंड (iv), खंड (v) और खंड (vi) में वर्णित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति विहित रीति से आवेदन किए जाने और उसके मंजूर किए जाने पर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए जो तीन हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी, रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाएगा :

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) ऐसा कोई भी सदस्य जो सहयुक्त है और जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात् या चाहे भागतः इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व और भागतः उसके पश्चात् भारत में कम-से-कम पांच वर्ष तक लगातार व्यवसाय करता रहा है तथा ऐसा कोई सदस्य जो कम-से-कम पांच वर्ष की कालावधि तक लगातार सहयुक्त रहा है और साथ ही जिसकी ऐसी अर्हताएं हैं जैसी परिषद् यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से विहित करे कि उसका अनुभव चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में पांच वर्ष की कालावधि तक के लगातार व्यवसाय करने के परिणामस्वरूप प्रसामान्यतः हो जाने वाले अनुभव के समतुल्य है, ऐसी फीस के संदाय पर, जो परिषद् द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए, जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और विहित रीति से आवेदन किए जाने और अनुज्ञात होने पर रजिस्टर में संस्थान के अध्येता के रूप में प्रविष्ट किया जाएगा और वह अपने नाम के आगे एफसीए अक्षरों का यह उपदर्शित करने के लिए प्रयोग करने का हकदार होगा कि वह व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

का अध्येता है :

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में,-- धारा 6 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) प्रत्येक ऐसा सदस्य अपने प्रमाणपत्र के लिए ऐसी वार्षिक फीस देगा, जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा, अवधारित की जाए, जो तीन हजार रुपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी फीस हर वर्ष में पहली अप्रैल को या उसके पूर्व देय होगी :

परंतु परिषद् केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से तीन हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में छह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3) उपधारा (1) के अधीन अभिप्राप्त किया गया व्यवसाय का प्रमाणपत्र परिषद् द्वारा ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो विहित की जाएं, रद्द किया जा सकेगा ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 में,-- धारा 9 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) परिषद् का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :--

(क) बत्तीस से अनधिक व्यक्ति, जिनका निर्वाचन संस्थान के सदस्यों द्वारा संस्थान के उन अध्येताओं में से किया जाएगा जो ऐसी रीति से और ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने गए हैं जो विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु संस्थान का कोई अध्येता जिसे किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया गया है या उस पर जुर्माने की शास्ति अधिनिर्णीत की गई है, यथास्थिति, रजिस्टर से नाम को हटाने की अवधि की समाप्ति से या जुर्माने के संदाय पर,--

(i) इस अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन आने वाले अवचार की दशा में तीन वर्ष की अवधि के लिए ;

(ii) इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अधीन आने वाले अवचार की दशा में, छह वर्ष की अवधि के लिए,

निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा ;

(ख) आठ से अनधिक व्यक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(3) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन परिषद् के लिए निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति जो संस्थान का लेखापरीक्षक रहा है, उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन परिषद् के निर्वाचन के लिए उसके लेखापरीक्षक न रहने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा ।"।

धारा 10 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 10 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

परिषद् के लिए पुनः निर्वाचन या पुनःनामनिर्देशन ।

"10. धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्देशित परिषद् का कोई सदस्य, यथास्थिति, पुनःनिर्वाचन या पुनःनामनिर्देशन के लिए पात्र होगा :

परंतु कोई भी सदस्य तीन से अधिक आनुक्रमिक अवधियों के लिए पद धारण नहीं करेगा :

परंतु यह और कि परिषद् का ऐसा कोई सदस्य जो धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया जाता है या किया गया है, परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नामनिर्देशन के लिए पात्र नहीं होगा ।"।

नई धारा 10क और 10ख का अंतःस्थापन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा ।

"10क. धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन किसी निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद की दशा में, व्यथित व्यक्ति निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर संस्थान के सचिव को आवेदन कर सकेगा, जो उस आवेदन को केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी ।

अधिकरण की स्थापना ।

10ख. (1) धारा 10क के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर, केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विवाद का विनिश्चय करने के लिए पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनने वाले अधिकरण की स्थापना करेगी और ऐसे अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) कोई व्यक्ति,--

(क) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और उसने उस सेवा की श्रेणी 1 में कम से कम तीन वर्ष तक पद धारण किया है ;

(ख) सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह परिषद् का कम से कम एक पूरी कालावधि के लिए सदस्य रहा है और जो परिषद् का आसीन सदस्य नहीं है या जो विवादाधीन निर्वाचन में कोई उम्मीदवार नहीं रहा है ; या

(ग) सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत सरकार के संयुक्त सचिव का पद या केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसा कोई अन्य पद धारण कर रहा है जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं है ।

(3) अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, उनके अधिवेशनों के स्थान और भत्ते वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) अधिकरण के व्यय परिषद् द्वारा वहन किए जाएंगे ।" ।

9. मूल अधिनियम की धारा 12 में,--

धारा 12 का संशोधन ।

(i) उपधारा (3) में, "वह पुनःनिर्वाचन का पात्र होगा" शब्दों के स्थान पर, "वह उपधारा (1) के अधीन पुनःनिर्वाचन का पात्र होगा" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी :--

"(4) परिषद् के कार्यकाल के अवसान पर, परिषद् का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो ऐसे अवसान के समय अपने पद धारण किए हुए हैं अपने पद धारण किए रहेंगे तथा ऐसे प्रशासनिक और अन्य कर्तव्यों का जैसे विहित किए जाएं उस समय तक निर्वहन करते रहेंगे जिस समय तक नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता और वे अपने कर्तव्यों का भार नहीं संभाल लेते ।"।

10. मूल अधिनियम की धारा 13 में,--

धारा 13 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) में "अधिवेशनों से अनुपस्थित रहा है," शब्दों के पश्चात्, "या वह किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी पाया गया है और उस पर जुर्माने की शास्ति अधिनिर्णीत की गई है," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपधारा (3) के परंतुक में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर, "एक वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

11. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

परिषद् के कृत्य ।

"15. (1) संस्थान परिषद् के संपूर्ण नियंत्रण, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन कृत्य करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने का कर्तव्य परिषद् में निहित होगा ।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् के कर्तव्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे--

(क) शैक्षणिक पाठ्यक्रमों और उनकी अंतर्वस्तुओं का अनुमोदन करना ;

(ख) नामावली में नाम प्रविष्ट किए जाने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा और उसके लिए फीस विहित करना ;

(ग) आबद्ध सहायकों और संपरीक्षा सहायकों के नियोजन और प्रशिक्षण का विनियमन ;

(घ) रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए अर्हताएं विहित करना ;

(ङ) नामावली में नाम प्रविष्ट किए जाने के प्रयोजनों के लिए विदेशी अर्हताओं और प्रशिक्षण को मान्यता देना ;

(च) इस अधिनियम के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अनुदत्त करना या इंकार करना ;

(छ) चार्टर्ड एकाउंटेंटों के रूप में व्यवसाय करने के लिए अर्हित व्यक्तियों

का रजिस्टर रखा जाना और उसका प्रकाशन ;

(ज) सदस्यों, परीक्षार्थियों और अन्य व्यक्तियों से फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारियों के आदेशों के अधीन रहते हुए रजिस्टर से नामों को काटना और रजिस्टर में ऐसे नामों को पुनः दर्ज करना, जिनको काट दिया गया है ;

(ञ) संस्थान के सदस्यों की वृत्तिक अर्हताओं की प्रतिष्ठा और स्तर को विनियमित करना और बनाए रखना ;

(ट) परिषद् के सदस्यों से भिन्न किन्हीं व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देकर या किसी अन्य रीति से लेखाकर्म में अनुसंधान कराना ;

(ठ) किसी पुस्तकालय का अनुरक्षण और लेखाकर्म से संबंधित पुस्तकों और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन ;

(ड) निदेशक (अनुशासन), इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति और अपील प्राधिकरण के कार्यकरण को समर्थ बनाना ;

(ढ) क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्यकरण को समर्थ बनाना ;

(ण) धारा 28ख के खंड (क) के अधीन की गई क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना और अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा देना ;

(त) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में और समय-समय पर संस्थान को सौंपे गए अन्य कानूनी कर्तव्यों के अनुपालन में संस्थान के कार्यकरण को सुनिश्चित करना ।"।

नई धारा 15क का अंतःस्थापन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाना ।

"15क. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय या संस्थान से सहबद्ध कोई निकाय संस्थान के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले विषयों पर शिक्षा प्रदान कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या निकाय, डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करते समय या कोई पदनाम देते समय, यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रमाणपत्र या पदनाम संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र या पदनाम के सदृश न हों या उसके समरूप न हों ।

(3) इस धारा की कोई बात किसी विश्वविद्यालय या निकाय को ऐसा नाम या नामपद्धति अंगीकार करने के लिए समर्थ नहीं बनाएगी जो किसी रूप में संस्थान के नाम या नामपद्धति के समरूप है ।" ।

धारा 16 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:--

अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, आदि ।

"16. (1) परिषद्, अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए,--

(क) सचिव की ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्ति करेगी जो विहित किए जाएं ;

(ख) एक निदेशक (अनुशासन) की, ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्ति करेगी जो उसे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन समनुदेशित किए जाएं ।

(2) परिषद्--

(क) ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे ;

(ख) सचिव से या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी से अपने कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति की भी अपेक्षा कर सकेगी और ले सकेगी जिसे परिषद् आवश्यक समझे ;

(ग) अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, फीस, भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें भी विहित कर सकेगी ;

(घ) केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों तथा अपनी समितियों के सदस्यों के भत्ते भी नियत कर सकेगी ।

(3) परिषद् का सचिव परिषद् के अधिवेशनों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु उनमें मत देने का हकदार नहीं होगा ।"।

14. मूल अधिनियम की धारा 17 में,-- धारा 17 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) वित्त समिति ; ";

(ख) उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(2) परिषद् अपने सदस्यों में से ऐसी अन्य समितियां भी बना सकेगी जो वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे और इस प्रकार बनाई गई कोई समिति, परिषद् की मंजूरी से समिति के एक तिहाई सदस्यों से अनधिक संस्थान के ऐसे अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी जो वह ठीक समझे और इस प्रकार सहयोजित कोई सदस्य समिति के किसी सदस्य के सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा ।

(3) प्रत्येक स्थायी समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदेन और परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाले कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक पांच सदस्यों से मिलकर बनेगी ।"।

15. मूल अधिनियम की धारा 18 में,-- धारा 18 का संशोधन ।

(i) उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(3) परिषद्, पूंजी को राजस्व से सुभिन्न करते हुए निधि का उचित लेखा विहित रीति में रखेगी ।

(4) परिषद्, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व, एक वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) विहित रीति में तैयार करेगी और उसका अनुमोदन करेगी

जिसमें आगामी वर्ष के लिए उसके प्रत्याशित सभी राजस्व तथा सभी प्रस्तावित व्ययों को उपदर्शित किया जाएगा ।

(5) परिषद् के वार्षिक लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जो विहित की जाए और वे परिषद् द्वारा हर वर्ष नियुक्त किए जाने वाले व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन होंगे :

परंतु परिषद् का कोई सदस्य या ऐसा कोई व्यक्ति जो पिछले चार वर्ष के दौरान परिषद् का सदस्य रहा है या ऐसा व्यक्ति जो ऐसे सदस्य का भागीदार रहा है, इस उपधारा के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि परिषद् की जानकारी में यह बात लाई जाती है कि परिषद् के लेखे उसके वित्त की सही और उचित स्थिति प्रदर्शित नहीं करते हैं तो परिषद् स्वयं एक विशेष लेखा संपरीक्षा करवा सकेगी :

परन्तु यह भी कि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा परिषद् को ऐसी सूचना भेजी जाती है कि परिषद् के लेखे उसकी वित्तीय स्थिति की सही और उचित स्थिति प्रदर्शित नहीं करते हैं तो परिषद्, जहां भी उपयुक्त हो, उसकी विशेष संपरीक्षा करा सकेगी या ऐसी अन्य कार्रवाई कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को देगी ।";

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(5क) परिषद् प्रत्येक वर्ष के अन्त में यथासाध्यशीघ्र अपने सदस्यों को कम-से-कम पंद्रह दिन पहले संपरीक्षित लेखे परिचालित करेगी और इस प्रयोजन के लिए बुलाए गए विशेष अधिवेशन में इन लेखाओं पर विचार करेगी और उनका अनुमोदन करेगी ।

(5ख) परिषद्, आगामी वर्ष के सितम्बर की 30 तारीख के अपश्चात् परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित उस वर्ष की परिषद् की संपरीक्षित लेखे और रिपोर्ट की प्रति प्रकाशित कराएगी और उक्त लेखाओं और रिपोर्ट की प्रतियां केन्द्रीय सरकार और संस्थान के सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी ।"।

धारा 19 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 19 में,--

(i) उपधारा (3) में, "ऐसी सूची की एक प्रति उसको भेजेगी" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी सूची की प्रति उसको ऐसी रकम के संदाय पर, जो विहित की जाए, भेजेगी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) संस्थान का प्रत्येक सदस्य, रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट किए जाने पर ऐसी वार्षिक सदस्यता फीस का संदाय करेगा जो परिषद् द्वारा, अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए, जो पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी :

परंतु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पांच हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

17. मूल अधिनियम की धारा 20 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 20 का संशोधन ।

"(3) यदि किसी सदस्य का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन रजिस्टर से हटा दिया गया है तो आवेदन की प्राप्ति पर उसका नाम, अवधारित वार्षिक फीस और प्रवेश फीस के बकाया तथा ऐसी अतिरिक्त फीस के संदाय पर, जो परिषद् द्वारा अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाए, जो दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी, रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट किया जा सकेगा :

परन्तु परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, दो हजार रुपए से अधिक की फीस अवधारित कर सकेगी जो किसी भी दशा में चार हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

18. मूल अधिनियम की धारा 21 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 21 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"21. (1) परिषद्, अधिसूचना द्वारा अनुशासन निदेशालय की स्थापना करेगी जिसका प्रमुख निदेशक (अनुशासन) के रूप में अभिहित संस्थान का कोई अधिकारी होगा और उसको प्राप्त इत्तिला या शिकायत के संबंध में अन्वेषण करने के लिए ऐसे अन्य कर्मचारी होंगे । अनुशासन निदेशालय ।

(2) निदेशक (अनुशासन) विहित फीस के साथ किसी इत्तिला या शिकायत की प्राप्ति पर अभिकथित अवचार के घटित होने के बारे में किसी प्रथमदृष्टया राय पर पहुंचेगा ।

(3) जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह अनुशासन बोर्ड के समक्ष मामले को रखेगा और जहां निदेशक (अनुशासन) की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची या दोनों अनुसूचियों में वर्णित किसी वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह मामले को अनुशासन समिति के समक्ष रखेगा ।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्वेषण करने के लिए अनुशासन निदेशालय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) जहां कोई परिवादी परिवाद को वापस लेता है वहां निदेशक (अनुशासन) इस प्रकार वापस लेने को, यथास्थिति, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष रखेगा और उक्त बोर्ड या समिति, यदि उसकी यह राय है कि परिस्थितियों में ऐसा वांछनीय है तो उसे किसी भी प्रक्रम पर वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगी ।"।

19. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-- नई धारा 21क, धारा 21ख, धारा 21ग और धारा 21घ का अंतःस्थापन ।

'21क. (1) परिषद् अनुशासन बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे,-- अनुशासन बोर्ड ।

(क) विधि में अनुभव रखने वाला ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनुशासनिक विषयों और वृत्तिक ज्ञान हो, जो उसका पीठासीन अधिकारी होगा ;

(ख) दो ऐसे सदस्य जिनमें से एक सदस्य परिषद् द्वारा निर्वाचित परिषद् का सदस्य होगा और अन्य सदस्य विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा

नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(ग) निदेशक (अनुशासन) बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेगा ।

(2) अनुशासन बोर्ड अपने समक्ष सभी मामलों के संबंध में संक्षिप्त निपटान प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(3) जहां अनुशासन बोर्ड की यह राय है कि कोई सदस्य पहली अनुसूची में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है, वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना ;

(ख) सदस्य के नाम को तीन मास की अवधि तक के लिए रजिस्टर से हटाना ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जिसे वह ठीक समझे, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(4) निदेशक (अनुशासन), जहां उसकी यह राय है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं है वहां अनुशासन बोर्ड के समक्ष सभी इत्तिला और परिवाद रखेगा और यदि अनुशासन बोर्ड, निदेशक (अनुशासन) की राय से सहमत हो तो मामले को बंद कर सकेगा या असहमति की दशा में निदेशक (अनुशासन) को मामले में आगे अन्वेषण करने की सलाह दे सकेगा ।

अनुशासन समिति ।

21ख. (1) परिषद् एक अनुशासन समिति का गठन करेगी जो पीठासीन अधिकारी के रूप में परिषद् के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और परिषद् के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाने वाले दो सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगी :

परन्तु परिषद्, जब भी वह उचित समझे, अधिक अनुशासन समितियों का गठन कर सकेगी ।

(2) अनुशासन समिति, उसके समक्ष रखे गए मामलों पर विचार करते समय, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

(3) जहां अनुशासन समिति की यह राय है कि कोई सदस्य दूसरी अनुसूची में या पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची, दोनों में वर्णित वृत्तिक या अन्य अवचार का दोषी है वहां वह उसके विरुद्ध कोई आदेश करने से पूर्व उस सदस्य को सुनवाई का अवसर देगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित कोई एक या अधिक कार्यवाही करेगी, अर्थात् :--

(क) सदस्य को धिग्दण्ड देना ;

(ख) सदस्य के नाम को स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, रजिस्टर से हटाना ;

(ग) ऐसा जुर्माना अधिरोपित करना जो वह ठीक समझे, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों को संदेय भत्ते वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

21ग. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जांच करने के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को निम्नलिखित विषयों की बाबत वे ही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :-- प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक (अनुशासन) को सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।

1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे पेश कराना ; और

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य लेना ।

स्पष्टीकरण--धारा 21, धारा 21क, धारा 21ख, धारा 21ग और धारा 22 के प्रयोजनों के लिए, "संस्थान के सदस्य" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो अभिकथित अवचार की तारीख को संस्थान का सदस्य था भले ही वह जांच के समय संस्थान का सदस्य न रहा हो ।

21घ. चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ से पूर्व परिषद् के समक्ष लंबित सभी परिवादों या अनुशासन समिति द्वारा आरंभ की गई किसी जांच या उच्च न्यायालय को किए गए किसी निर्देश या अपील का, इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा इस प्रकार शासित होना जारी रहेगा मानो यह अधिनियम, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित न किया गया हो ।'। संक्रमणकालीन उपबंध ।

20. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 22 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

'22. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "वृत्तिक या अन्य अवचार" पद के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत ऐसा कोई कार्य या लोप आता है जो अनुसूचियों में से किसी अनुसूची में उपबंधित है, किन्तु इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संस्थान के किसी सदस्य के आचरण की जांच करने के लिए धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन निदेशक (अनुशासन) को प्रदत्त शक्ति या उस पर अधिरोपित कर्तव्य को सीमित या कम करती है ।'। परिभाषित वृत्तिक या अन्य अवचार ।

21. मूल अधिनियम की धारा 22क के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :-- धारा 22क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन ।

"22क. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा अपील प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें,-- अपील प्राधिकरण का गठन ।

(क) ऐसा व्यक्ति, जो किसी उच्च न्यायालय का अध्यक्ष है या रहा है या न्यायाधीश होने के लिए अर्हित है, इसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) दो सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो परिषद् में कम से कम एक पूरी कालावधि के लिए सदस्य रहे हों और जो परिषद् का कोई आसीन सदस्य न हो ;

(ग) दो सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किए जाएंगे जिनके पास विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र

में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है ।

(2) अध्यक्ष और अन्य सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे ।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि ।

22ख. (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की कालावधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

(2) सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की कालावधि के लिए या जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और सेवा की शर्तें ।

22ग. अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें तथा परिषद् और ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकरण के व्यय को पूरा करने की रीति, वह होगी जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया ।

22घ. (1) प्राधिकरण का कार्यालय दिल्ली में होगा ।

(2) प्राधिकरण अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करेगा ।

(3) प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द ।

22ङ. (1) परिषद्, प्राधिकरण को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद के सदस्य उपलब्ध कराएगी जितने प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष अनुपालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद के सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

अध्यक्ष और सदस्यों का पदत्याग और उनका हटाया जाना ।

22च. (1) अध्यक्ष या कोई सदस्य, केंद्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर के अधीन लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा :

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, जब तक कि उसे केंद्रीय सरकार द्वारा अपना पद पहले त्यागने के लिए अनुमति नहीं दी जाती, अपना पद तब तक, जब तक कि ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास समाप्त नहीं हो जाते या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारण करता रहेगा ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य को अपने पद से साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर केंद्रीय सरकार के ऐसे आदेश के सिवाय नहीं हटाया जाएगा, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाए, की गई ऐसी जांच के पश्चात् किया गया हो, जिसमें संबंधित अध्यक्ष या सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई हो और उसे ऐसे आरोपों के संबंध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ।

प्राधिकरण को अपील ।

22छ. (1) धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) में निर्दिष्ट कोई शास्ति उस पर अधिरोपित करने वाले अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के किसी आदेश से व्यथित संस्थान का कोई सदस्य, उस तारीख से, नब्बे दिन के भीतर जिसको उसे आदेश संसूचित किया जाता है, प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु निदेशक (अनुशासन), यदि परिषद् द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया

हो, प्राधिकरण को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के विनिश्चय के विरुद्ध नब्बे दिन के भीतर अपील कर सकेगा :

परंतु यह और कि प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समय के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त कारण था, नब्बे दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण, किसी मामले के अभिलेख को मंगाने के पश्चात्, धारा 21क की उपधारा (3) और धारा 21ख की उपधारा (3) के अधीन अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा किए गए किसी आदेश को पुनरीक्षित कर सकेगा, और--

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित या अपास्त कर सकेगा ;

(ख) कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा या उसमें वृद्धि कर सकेगा ;

(ग) मामले को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति को ऐसी और जांच किए जाने के लिए प्रति प्रेषित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण मामले की परिस्थितियों में उचित समझे ; या

(घ) ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा जिसे प्राधिकरण ठीक समझे :

परंतु प्राधिकरण कोई आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देगा ।"।

22. मूल अधिनियम की धारा 24क की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा । धारा 24क का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 26 का संशोधन ।

"(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन किया है, किन्हीं अन्य कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हों, पहली दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और दूसरी या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।"।

24. मूल अधिनियम के अध्याय 7 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- नए अध्याय 7क का अंतःस्थापन ।

"अध्याय 7क

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड

28क. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करेगी जिसमें एक अध्यक्ष और दस अन्य सदस्य होंगे । क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की स्थापना ।

(2) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति ऐसे विख्यात व्यक्तियों में से की जाएगी जो विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त या लेखाकर्म के क्षेत्र में अनुभव रखते हों ।

(3) बोर्ड के पांच सदस्य परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और अन्य पांच

सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

बोर्ड के कृत्य ।

28ख. बोर्ड, निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :--

(क) संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए क्वालिटी के संबंध में परिषद् को सिफारिश करना ;

(ख) संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की, जिनके अंतर्गत संपरीक्षा सेवाएं भी हैं, क्वालिटी का पुनर्विलोकन करना ; और

(ग) सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने और विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं का पालन करने के लिए संस्थान के सदस्यों का मार्गदर्शन करना ।

बोर्ड की प्रक्रिया ।

28ग. बोर्ड ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनिर्दिष्ट की जाए ।

बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें और उनका व्यय ।

28घ. (1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें और उनके भत्ते वे होंगे जो विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) बोर्ड का व्यय परिषद् द्वारा वहन किया जाएगा ।"।

नई धारा 29क का अंतःस्थापन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

"29क. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :--

(क) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन और नामनिर्देशन की रीति ;

(ख) धारा 10ख की उपधारा (3) के अधीन अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें, अधिवेशनों के स्थान, उनको संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ग) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन अन्वेषण की प्रक्रिया ;

(घ) धारा 21ख की उपधारा (2) के अधीन अनुशासन समिति द्वारा मामलों पर विचार किए जाते समय प्रक्रिया और उपधारा (4) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के भत्तों का नियतन ;

(ङ) धारा 22ग के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तें तथा परिषद् द्वारा व्यय को पूरा करने की रीति ;

(च) धारा 28ग के अधीन बोर्ड द्वारा अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; और

(छ) धारा 28घ की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।"।

26. मूल अधिनियम की धारा 30 में,--

धारा 30 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, "और ऐसे विनियमों की एक प्रति संस्थान के प्रत्येक सदस्य के पास भेजी जाएगी" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में,--

(i) खंड (छ) में, "परिषद् और" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ञ) में, "शिक्षार्थियों" शब्द के स्थान पर जहां कहीं वह आता है, "सहायकों" शब्द रखा जाएगा ;

(iii) खंड (द) में, अन्त में "और" शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा ;

(iv) खंड (ध) का लोप किया जाएगा ।

27. मूल अधिनियम की धारा 30ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

धारा 30क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

"30ख. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना बनाए जाने या जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम, विनियम या अधिसूचना नहीं बनाया जाना चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी किन्तु नियम, विनियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"।

28. मूल अधिनियम की धारा 30ख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

नई धारा 30ग, 30घ और 30ङ का अंतःस्थापन ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

"30ग. (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में परिषद् द्वारा अननुपालन की दशा में केन्द्रीय सरकार परिषद् को ऐसे साधारण या विशेष निदेश दे सकेगी जो वह अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे और परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

(2) यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, परिषद् ने उपधारा (1) के अधीन जारी निदेशों को कार्यान्वित करने में लगातार व्यतिक्रम किया है तो वह परिषद् को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा परिषद् का विघटन कर सकेगी जिसके पश्चात् ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नई परिषद् का गठन किया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार इसके विघटन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार एक नई परिषद् के गठन को सुनिश्चित करेगी ।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार ने उपधारा (2) के अधीन परिषद् का विघटन करने

वाली अधिसूचना जारी की है वहां वह, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नई परिषद् के गठन के लंबित रहने के दौरान इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कार्यों का प्रबंध करने और सभी या किन्ही कृत्यों का निर्वहन के लिए किसी व्यक्ति को या पांच सदस्यों से अनधिक व्यक्ति निकाय को नामनिर्देशित करेगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

30घ. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, जारी की गई किसी अधिसूचना, निदेश या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या परिषद् या प्राधिकरण या अनुशासन समिति या अधिकरण या बोर्ड या अनुशासन बोर्ड या अनुशासन निदेशालय या उस सरकार, परिषद्, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अधिकरण, बोर्ड, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन निदेशालय के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

सदस्यों आदि का लोकसेवक होना ।

30ङ. प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अधिकरण, बोर्ड, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन निदेशालय के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, सदस्य और अन्य अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।"। 1860 का 45

प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूचियों का प्रतिस्थापन ।

29. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनूसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

'पहली अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21क (3) और धारा 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के संबंध में वृत्तिक अवचार

व्यवसाय करने वाला कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट वृत्तिक अवचार का दोषी उस दशा में समझा जाएगा, जिसमें कि वह--

(1) किसी व्यक्ति को अपने नाम से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय करने के लिए तब अनुज्ञात करता है, जबकि ऐसा व्यक्ति भी व्यवसाय करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है और उसके साथ भागीदारी में या उसके नियोजन में नहीं है ;

(2) संस्थान के सदस्य से या भागीदार से या भागीदारी से अलग हो गए किसी भागीदार से या किसी मृतक भागीदार के विधिक प्रतिनिधि से या किसी अन्य वृत्तिक निकाय के सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को या ऐसी अर्हता जो भारत में या भारत से बाहर समय-समय पर ऐसी वृत्तिक सेवाएं देने के प्रयोजन के लिए विहित की जाएं, रखने वाले अन्य व्यक्ति को अपने वृत्तिक कारबार की फीस या लाभ में कोई अंश, कमीशन या दलाली प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संदाय करता है या संदाय करने के लिए अनुज्ञात करता है या संदाय करने या अनुज्ञात करने के लिए सहमत होता है ।

स्पष्टीकरण--इस मद में "भागीदार" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो भारत के बाहर निवासी है और जिसके साथ व्यवसाय करने वाला कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसी भागीदारी में शामिल हो गया है जो इस भाग की मद (4) का उल्लंघन नहीं करती है ;

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो संस्थान का सदस्य नहीं है, वृत्तिक कार्य के लाभों का कोई भाग प्रतिगृहीत करता है या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है :

परन्तु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह, किसी सदस्य को, ऐसे वृत्तिक निकाय के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति के साथ, जिसके पास इस भाग की मद (2) में, निर्दिष्ट अर्हताएं हैं, लाभ में हिस्सा बंटाने या उसी प्रकार की अन्य व्यवस्था में जिसके अन्तर्गत फीसों में अंश, कमीशन या दलाली प्राप्त करना भी है, शामिल होने से प्रतिषिद्ध करने वाली है ।

(4) व्यवसाय करने वाले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ या ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ जो किसी अन्य वृत्तिक निकाय का सदस्य है और जिसके पास ऐसी अर्हताएं हैं, जो विहित की जाएं, जिसमें ऐसा निवासी भी है, जो कि विदेश में अपने निवास के कारण धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (v) के अधीन संस्थान के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार होता या जिसकी अर्हताओं को ऐसी भागीदारियों को अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या परिषद् द्वारा मान्यता दी गई है, भारत में या भारत से बाहर, भागीदारी में शामिल होता है ।

(5) ऐसे व्यक्ति की जो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई कर्मचारी नहीं है या जो उसका भागीदार नहीं है, सेवाओं द्वारा या ऐसे साधनों द्वारा, जिन्हें उपयोग करना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अनुज्ञेय नहीं है, कोई वृत्तिक कारबार प्राप्त करता है :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस भाग की मद (2), मद (3) और मद (4) के निबंधनों के अनुसार किसी व्यवस्था को प्रतिषिद्ध करने वाला है ; या

(6) परिपत्र, विज्ञापन, वैयक्तिक पत्र-व्यवहार या साक्षात्कार या किसी अन्य साधन द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहारी से या वृत्तिक कार्य के पाने के लिए याचना करता है :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि,--

(i) किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को, व्यवसाय करने वाले अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से वृत्तिक कार्य के लिए आवेदन करने या अनुरोध करने या आमंत्रित करने या अभिप्राप्त करने से उसे ;

(ii) किसी सदस्य को समय-समय पर वृत्तिक सेवाओं के विभिन्न उपयोग कर्ताओं या संगठनों द्वारा जारी की गई निविदाओं या जांच का उत्तर देना और उसके परिणामस्वरूप वृत्तिक कार्य प्राप्त करने से,

निवारित या प्रतिषिद्ध करने वाली है ;

(7) अपनी वृत्तिक उपलब्धियों या सेवाओं का विज्ञापन या वृत्तिक दस्तावेजों, परिचय कार्डों, पत्र शीर्षकों या नाम पट्टों पर चार्टर्ड अकाउंटेंट से भिन्न अभिधान या पदों का प्रयोग तब करता है जब उसके पास वह भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधि नहीं है या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की या किसी अन्य संस्था की सदस्यता उपदर्शित करने वाली ऐसी उपाधि नहीं है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता दी गई है या जिसे परिषद् द्वारा मान्यता दी जाए :

परन्तु व्यवसाय करने वाला कोई सदस्य उसके या उसकी फर्म द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली सेवाओं और उसकी फर्म की विशिष्टियां, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन रहते हुए जो परिषद् द्वारा जारी किए जाएं, उपवर्णित करते हुए किसी लेख के माध्यम से विज्ञापन कर सकेगा ;

(8) लेखापरीक्षक के रूप में ऐसा कोई ओहदा, जो तत्पूर्व किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी अधिप्रमाणित लेखा परीक्षक द्वारा धारित था, वे जिसे निर्बंधित प्रमाणपत्र नियम, 1932 के अधीन प्रमाणपत्र जारी किया गया था पहले उससे लिखित में उसे संसूचित किए बिना स्वीकार करता है ;

(9) किसी कंपनी से पहले यह सुनिश्चित किए बिना कि क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 225 की अपेक्षाओं का ऐसी नियुक्ति के संबंध में सम्यक् रूप से अनुपालन हो गया है उसके संपरीक्षक के रूप में कोई नियुक्ति स्वीकार करता है ; 1956 का 1

(10) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी विनियम के अधीन अनुज्ञात के सिवाय किसी वृत्तिक नियोजन के संबंध में ऐसी फीस, जो लाभों के प्रतिशत पर आधारित है या जो ऐसे नियोजन के निष्कर्षों या परिणामों पर समाश्रित हैं, प्रभारित करता है या प्रभारित करने की प्रस्थापना करता है या प्रतिगृहीत करता है या प्रतिगृहीत करने की प्रस्थापना करता है ;

(11) चार्टर्ड अकाउंटेंट की वृत्ति से भिन्न किसी कारबार या उपजीविका में अपने को उस दशा में लगाता है जबकि परिषद् द्वारा ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञा नहीं दी गई है :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी कंपनी का निदेशक होने से (जो प्रबंध-निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक नहीं है) तब के सिवाय हक से वंचित नहीं करेगी जबकि वह या उसके भागीदार में से कोई भागीदार संपरीक्षक के रूप में ऐसी कंपनी में हितबद्ध नहीं है ;

(12) ऐसे व्यक्ति को, जो संस्थान का व्यवसाय करने वाला सदस्य नहीं है, या ऐसे सदस्य को, जो उसकी ओर से या अपनी फर्म की ओर से, किसी तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा, रिपोर्ट या वित्तीय विवरणों को हस्ताक्षरित करने के लिए, उसका भागीदार नहीं है, अनुज्ञात करता है ।

भाग 2

संस्थान के सेवारत सदस्यों के संबंधित वृत्तिक अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य (जो व्यवसाय करने वाले सदस्य से भिन्न) किसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति का कर्मचारी होते हुए,--

(1) उसके द्वारा ग्रहण किए गए नियोजन की परिलब्धियों का कोई अंश, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी व्यक्ति को संदाय करता है या संदाय किए जाने को अनुज्ञात करता है, या संदाय किए जाने के लिए सहमत होता है ;

(2) ऐसी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति द्वारा या ऐसी कम्पनी, फर्म या व्यक्ति के अभिकर्ता या मुवक्किल द्वारा नियुक्त किसी विधि व्यवसायी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या दलाल से, फीसों, लाभों या अभिलाभों का कोई भाग कमीशन या परितोष के रूप में प्रतिगृहीत करता है, या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दोषी समझा जाएगा ।

भाग 3

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः वृत्तिक अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो या नहीं,--

(1) संस्थान का अध्येता न होते हुए संस्थान के अध्येता के रूप में कार्य करता है ;

(2) संस्थान, परिषद् या उसकी किन्हीं समितियों में से किसी समिति, निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति, कवालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड या अपील प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देता या उन अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, जिसके बारे में मांग की गई है ;

(3) किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट से वृत्तिक कार्य आमंत्रित करते समय या निविदाएं या परिप्रश्नों का उत्तर देते समय या किसी लेख के माध्यम से विज्ञापन देते समय या इस अनुसूची के भाग 1 की मद (6) और मद (7) में यथाउपबंधित कोई बात करते समय ऐसी सूचना देता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दोषी समझा जाएगा ।

भाग 4

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः अन्य अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो या नहीं, --

(1) किसी सिविल या दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जो छह मास से अनधिक अवधि के कारवास से दण्डनीय है ;

(2) वह परिषद् की राय में, उसने अपने कार्यों से चाहे वे उसके वृत्तिक कार्य से संबंधित हों या नहीं, वृत्ति या संस्थान की प्रतिष्ठा गिराता है,

तो वह अन्य अवचार का दोषी समझा जाएगा ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 21(3), धारा 21ख(3) और धारा 22 देखिए]

भाग 1

व्यवसाय करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित वृतिक अवचार

यदि व्यवसाय करने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट--

(1) अपने मुवक्किल की सम्मति के बिना या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा यथा अपेक्षित से अन्यथा, अपने वृत्तिक कार्य के दौरान प्राप्त जानकारी अपने मुवक्किल, से जिसने उसे नियुक्त किया है, भिन्न किसी व्यक्ति को प्रकट करता है; या

(2) वित्तीय विवरणों की परीक्षा की रिपोर्ट अपने नाम से या अपनी फर्म के नाम से तब के सिवाय जबकि ऐसे विवरणों और संबंधित अभिलेखों की परीक्षा, उसके द्वारा या उसकी फर्म के किसी भागीदार या कर्मचारी द्वारा या व्यवसाय करने वाले किसी अन्य चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा की गई है, प्रमाणित करता है या प्रस्तुत करता है ;

(3) ऐसी रीति से जिससे यह विश्वास हो जाए कि वह पूर्वानुमान का ठीक होना प्रमाणित करता है, अपने नाम को या अपनी फर्म के नाम को, उन उपार्जनों के प्राक्कलन के संबंध में जो कि भविष्यवर्ती संव्यवहारों पर समाश्रित है, प्रयुक्त करने की अनुज्ञा देता है ;

(4) किसी कारबार या उद्यम के वित्तीय विवरणों पर, जिसमें उसका, उसकी

फर्म या उसकी फर्म के किसी भागीदार का कोई सारवान् हित है, अपनी राय अभिव्यक्त करता है ;

(5) किसी वित्तीय विवरण में अपने को ज्ञात ऐसा तात्विक तथ्य को, जो किसी वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया है, किन्तु जिसका ऐसा वित्तीय विवरण देने में प्रकट किया जाना आवश्यक है, जहां ऐसे कथन से उसका संबंध वृत्तिक हैसियत में है, प्रकट करने में असफल रहता है ;

(6) ऐसे किसी वित्तीय विवरण में, जिससे उसका वृत्तिक हैसियत में संबंध है, ऐसे किसी तात्विक अशुद्ध कथन की रिपोर्ट जो उसे ज्ञात है, प्रकट करने में असफल रहता है ;

(7) अपने वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में सम्यक् तत्परता नहीं बरतता है या घोर उपेक्षा करता है ;

(8) उतनी पर्याप्त जानकारी अभिप्राप्त करने में असफल रहता है जो किसी राय की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है या जिसके अपवाद राय की अभिव्यक्ति को नकारने के लिए पर्याप्त रूप से सारवान् है ;

(9) परिस्थितियों में साधारणतः स्वीकार्य संपरीक्षा की प्रक्रिया से किसी तात्त्विक विच्युति के प्रति ध्यान आकृष्ट करने में असफल रहता है ;

(10) फीस या परिलब्धि या खर्च किए जाने के लिए रखे गए रुपए-पैसे से भिन्न अपने मुवक्किल के रुपए-पैसे पृथक् बैंक खाते में नहीं रखता है या ऐसे रुपए-पैसे को युक्तियुक्त समय के भीतर उन प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करता है, जिनके लिए उसका प्रयुक्त किया जाना आशयित है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दोषी समझा जाएगा ।

भाग 2

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः वृत्तिक अवचार

यदि संस्थान का कोई सदस्य, चाहे वह व्यवसाय कर रहा हो, या नहीं--

(1) इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए विनियमों या परिषद् द्वारा जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है ;

(2) किसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति का कर्मचारी होते हुए, तब के सिवाय अपने नियोजन के अनुक्रम में प्राप्त गोपनीय सूचना को प्रकट करता है, जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है या नियोजक द्वारा अनुज्ञात किया जाता है ;

(3) संस्थान, परिषद् या उसकी किसी समिति, निदेशक (अनुशासन), अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति, क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड या अपील प्राधिकरण को प्रस्तुत कोई सूचना, विवरण, विवरणी या प्ररूप में कोई विशिष्टियां सम्मिलित करता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है ;

(4) अपनी वृत्तिक हैसियत में प्राप्त धनराशि का गोलमाल या गबन करता है,

तो वह वृत्तिक अवचार का दोषी समझा जाएगा ।

भाग 3

संस्थान के सदस्यों के संबंध में साधारणतः अन्य अवचार

संस्थान का कोई सदस्य चाहे व्यवसाय कर रहा हो या नहीं अन्य अवचार का दोषी समझा जाएगा जब उसे किसी सिविल या दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाता है, जो छह मास से अधिक अवधि के कारवास से दण्डनीय है ।'।

राष्ट्रपति ने दि चार्टर्ड अकाउंटेंट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2006 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

The above translation in Hindi of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार ।
Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—2733/OLW—18-7-2007.